

कामालय नं २०१८, भिलाई

(१)


OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, BHILAI


N.I.T.


CLEANING AND DISINFECTION WORK OF OHT & SUMPWELL

S.N	Name Of Work	Unit	Qty	Rate	Amount
1	Cleaning and disinfection of water storage tank i.e. OHT & sumpwell through mechanised dewatering, sludge removal, high pressure cleaning vaccum cleaning antibacterial spray UV radiation complete work.	,			
	Total 74134 Kilo Litre For 2 times in a year = 2×74134 = 148268 Kilo Litre	Kilo Litre	148268		

NOTE: Rates must be given including of all taxes.


Executive Engineer
Municipal Corporation Bhilai


Assistant Engineer
Municipal Corporation Bhilai


Sub Engineer
Municipal Corporation Bhilai

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

जलप्रदाय विभाग

नियम एवं शर्तें

विषय :— निगम में स्थित उच्चस्तरीय जलागार एवं संपवेल का वर्ष में 02 बार सफाई करने का कार्य।

1. उच्चस्तरीय जलागार की सफाई हाई प्रेशर रोटरी जेट मशीन, इन्डस्ट्रीयल वैक्युम क्लीनर, स्लज पंप इत्यादि से किया जाना आवश्यक होगा।
2. सफाई के उपरांत जलागारों में एन्टी बैक्टीरियल स्प्रे H_2O_2 का उपयोग किया जावेगा।
3. एजेंसी के पास कम से कम एक 3200 कि.ली. क्षमता के उच्चस्तरीय जलागार की मेक्नीकल Cleaning एवं Disinfection सफाई कार्य का अनुभव होना चाहिए, निविदा के साथ अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. संबंधित एजेंसी को इस कार्य हेतु 18 वर्ष से कम आयु के श्रमिकों को काम पर नहीं रखा जावेगा। इस हेतु संबंधित एजेंसी बाध्य रहेगी।
5. उच्चस्तरीय जलागारों की सफाई के दौरान कोई दुर्घटना/क्षति होती है, तो इसके लिए निविदाकार (अनुबंधित एजेंसी) पूर्णतः जिम्मेदार होगी।
6. निविदाकार को एक जलागार की पूर्णतः सफाई अधिकतम 24 घंटे के भीतर करनी होगी।
7. सभी जलागारों की एवं सम्पवेल की सफाई प्रथम बार कार्यादेश दिनांक से 30 दिनों के भीतर की जानी है एवं द्वितीय बार, प्रथम बार की गई सफाई दिनांक से 06 माह पश्चात् की जानी है, जिस हेतु कार्यालय से पृथक से सूचना दी जावेगी।
8. संबंधित एजेंसी को जलागारों में स्पष्ट बड़े अक्षरों में सफाई दिनांक, जलागार का नाम, जलागार की क्षमता आगामी सफाई दिनांक पेंट से लिखा जाना आवश्यक होगा।
9. निगम के निविदाओं से वंचित ठेकेदार/एजेंसी की निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएगी।
10. श्रम नियमों का पालन करने की संपूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
11. सभी आवश्यक सामग्री, टूल्स, टेकल्स, उपकरण मशीन इत्यादि के परिवहन इत्यादि सभी कार्य की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। जिसके लिए एजेंसी के पास मशीनों का सेट पर्याप्त मात्रा में होना अनिवार्य है। जिसकी सूची एवं स्वामित्व का दस्तावेज

(1)

12. दरें समस्त कर सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त किसी भी कर भुगतान पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. निविदा स्वीकृति, अस्वीकृति करने का संपूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई का होगा।
14. एजेंसी को कार्यपालन अभियंता जलकार्य के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
15. यह कि कार्य के दौरान असावधानी एवं लापरवाही पूर्वक किए गए कार्य में यदि निगम को कोई क्षति होती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी तथा नुकसान की राशि देयकों से काटी जावेगी।

✓
RJ

कार्यपालन अभियंता
जलकार्य
नगर पालिक निगम
भिलाई